संख्याः-10/2021/133/अडतीस-9-2021-02(बजट)/2018टी0सी0

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 2021**

विषयः-विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-08/2020/124/38-9-20-500(39)/2013टीसी-1, दिनांक-09.04.2020 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में अस्थाई रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

2- शासनादेश संख्या-09/2020/अड़तीस-9-20-500(39)/2013टी0सी-1 दिनांक-18-04-2020 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को धनराशि रू0 2.40 करोड़ (जिसमें रू0 40.00 लाख जी0एस0टी0 सम्मिलित है) से बढ़ाकर रू0 3.00 करोड़ (जी0एस0टी0 हेतु धनराशि भी सम्मिलित है) किया गया है।

3- शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त गत वर्ष की स्थगन अवधि समाप्त होने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायक निधि को पुनः विद्यमान नियमों व मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-''4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-06-विधानमण्डल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्य'42-अन्य व्यय'' में रू0 2000.00 करोड़ बजट व्यवस्था की गई है।

5- अवगत कराना है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्य कराने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 200000.00 लाख के सापेक्ष विधान सभा के 404 मा0 सदस्यों एवं विधान परिषद के 100 मा0 सदस्यों अर्थात कुल 504 मा0 सदस्यों में से संलग्न सूची 'अ' एवं 'ब' में अंकित कुल 500(402+98) मा0 सदस्यों को प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) प्रति मा0 सदस्य की दर से अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।

6- संलग्न सूची 'अ' के अनुसार विधान सभा के 404 मा0 सदस्यों में से विधान सभा क्षेत्र टुण्डला एवं सिकन्दरा की सीट रिक्त होने के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष 402

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मा0 सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के विकास हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 150.00 लाख जी0एस0टी0 सहित प्रति मा0 सदस्य की दर से कुल धनराशि रू0 60300.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 छः अरब तीन करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।

7- संलग्न सूची 'ब' के अनुसार विधान परिषद के 100 मा0 सदस्यों में से बदायूं स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के मा0 सदस्य के स्वर्गवास से रिक्त उक्त विधान परिषद क्षेत्र एवं एक अन्य मनोनीत मा0 सदस्य के स्वर्गवास से रिक्त उक्त विधान परिषद क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष 98 मा0 सदस्यों को प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 14700.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 एक अरब सैतालिस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता है।

8- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2021-2022 में विधान सभा के 404 मा0 सदस्यों में से 402 मा0 सदस्यों हेतु रू0 60300.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 छः अरब तीन करोड़ मात्र) (संलग्न सूची-अ) की धनराशि तथा विधान परिषद के 98 मा0 सदस्यों हेतु धनराशि रू0 14700.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 एक अरब सैतालिस करोड़ मात्र) (संलग्न सूची-ब) की धनराशि अर्थात विधान मण्डल के कुल 504 मा0 सदस्यों में से 500 मा0 सदस्यों हेतु कुल धनराशि रू0 75000.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 सात अरब पचास करोड़ मात्र) को प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानित तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) यदि किसी विधान सभा/विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(6) सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) इस सम्बन्ध में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक-22.03.2021 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-''4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-06-विधानमण्डल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्य'42-अन्य व्यय'' के नामें डाया जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक-22.03.2021 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः-10/2021/133(1)/अड़तीस-9-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 सभापति विधान परिषद, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
14- समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in